न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 16 / 2016 तारीख रजु 01.02.2016

उनवान

अब्दुल कयूम पुत्र गुलाम मुस्तफा जाति मुसलमान वगै0 निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———वादीगण(02)

बनाम

आईसा पत्नि फजल रहमान पुत्री गुलाम मुस्तफा उर्फ गुलाम रसूल जाति मुसलेमान वगै0 निवासी सब्जी मंडी करौली।

————प्रतिवादीगण(08)

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् घोषणा खातेदारी स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डोन के खसरा न. 1379, 1380 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 16 / 2016 अब्दुल कयूम बनाम आईसा, अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.09.01 14:28:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन